न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या पुराने न0 97/2024
राम सिंह पुत्र श्री परमाराम आयु 75 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम मीठवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

आवेदक

बनाम

1 श्रीमती बबीता पत्नी विरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम मीठवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
2 तहसीलदार, मण्डावा जिला झुन्झुनूं

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 08.05.2024

सक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि गां आवेदक की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमियों में भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 0.28 हैक्टर 423 रकबा 1.60 हैक्टर व ख.नं. 424 रकबा 0.16 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम मीठवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू मे अवस्थित है। जिसमें आवेदक खरीफ व रबी की फसले काश्त करता है। आवेदक की उक्त कृषि भूमियां के दक्षिण में अनावेदक की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 602/426 रकबा 3.09 हैक्टर अवस्थित है। आवेदक की उक्त कृषि भूमियो में आवगमन व कृषि उपकरण तथा पशुधन ले जाने का कदीमी प्रचलित रास्ता ग्राम मीठवास से रामचन्द्र गढ़वाल की ढ़ाणी तेतरा जाने वाली सड़क खसरा नं.603/426 से होता हुा विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 602/426 वाके ग्राम मीठवास की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे होते हुये आवेदक की उक्त भूमि तक आता है। जिससे आवेदक कदीमी समय से अपनी उक्त भूमि में अपना पशुधन, ऊँटगाकी, ट्रैक्टर, ट्रौली उक्त प्रचलित रास्ते से ही ले जाता रहा है। उक्त प्रचलित रास्ते को संलग्न नजरी नक्शा, जो आवेदन पत्र का अभिन्न अंग है, में उक्त सड़क खसरा नं. 603/426 से उतर में स्थित अनावेदक की कृषि भूमि खसरा नं. 602/426 की पश्चिमी सीमा पर उत्तर दक्षिण लम्बाई में मार्क से ठ दर्शाया गया है। आवेदक व अनावेदक संख्या 1 के खातेदारी की उक्त भूमिया पूर्व में एक ही परिवार की जमीन थी। उक्त जमीनों का बटवारा किया तब कटानी रास्ते का प्रावधान नही रखा बल्कि उक्त विन्दु । से ठ के रूप में बाहमी रूप से रास्ते की व्यवस्था आपसी सहमति से रखी गयी थी। आवेदक की उक्त कृषि जोत के उक्त कदीमी प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते के रूप में नहीं होने से अनावेदक संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई जिसके चलते उसने उक्त रास्ते में गहरे गढ्ढे खोदकर तथा उसके आगे तारबन्दी कर उसे दिनांक 02. 11.2024 को अस्थाई रूप से अवरूद्ध कर दिया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा तहसीलदार मण्डावा के समक्ष कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। आवेदक की उक्त कृषि जोत में आवागमन हेतु आवेदन पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदक को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक एवं महत्ती आवश्यकता है।भूमि खसरा नं. 602/426 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे सलंग्न नक्शे में दर्शित बिन्दू से 13 तक 15 फीट चौडाई का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी के रूप में कायम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस बावत आवेदक रास्ते के रकबे की भूमि की एवज में अनावेदक संख्या 1 को भूमि देने अथवा उक्त रकबे की डी.एल.सी.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

दर की दुगुनी राशि, जो भी माननीय न्यायालय उचित रूप से आदेशित करे उसे पूर्ण करने के लिए आवेदक तत्पर है। आवेदक की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमियो में भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 0.28 हैक्टर 423 रकबा 1.60 हैक्टर व ख.नं. 424 रकबा 0.16 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम मीठवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू मे अवस्थित है। जिसमें आवेदक खरीफ व रबी की फसले काश्त करता है। आवेदक की उक्त कृषि भूमियों के दक्षिण में अनावेदक की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं 602/426 रकबा 3.09 हैक्टर अवस्थित है। आवेदक की उक्त कृषि भूमियो में आवागमन व कृषि उपकरण तथा पशुधन ले जाने का कदीमी प्रचलित रास्ता ग्राम मीठवास से रामचन्द्र गढ़वाल की ढाणी तैतरा जाने वाली सड़क खसरा नं603/426 से होते हुये विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं 602/426 वाके ग्राम मीठवास की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे होते हुये आवेदक की उक्त भूमि तक आता है। जिससे आवेदक कदीमी समय से अपनी उक्त भूमि में अपना पशुधन, ऊँटगाडी, ट्रैक्टर, ट्रौली उक्त प्रचलित रास्ते से ही ले जाता रहा है। उक्त प्रचलित रास्ते को संलग्न नजरी नक्शा, जो आवेदन पत्र का अभिन्न अंग है, में उक्त सड़क खसरा नं. 603/426 से उत्तर में स्थित अनावेदक की कृषि भूमि खसरा नं. 602/426 की पश्चिमी सीमा पर उत्तर दक्षिण लम्बाई में मार्क से ठ दर्शाया गया है। आवेदक व अनावेदक संख्या 1 के खातेदारी की उक्त भूमिया पूर्व में एक ही परिवार की जमीन थी। उक्त जमीनों का बटवारा किया तब कटानी रास्ते का प्रावधान नही रखा बल्कि उक्त बिन्दु । से ठ के रूप में बाहमी रूप से रास्ते की व्यवस्था आपसी सहमति से रखी गयी थी।आवेदक की उक्त कृषि जोत के उक्त कदीमी प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते के रूप में नहीं होने से अनावेदक संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई जिसके चलते उसने उक्त रास्ते में गहरे गढ्ढे खोदकर तथा उसके आगे तारबन्दी कर उसे दिनांक 02.11.2024 को अस्थाई रूप से अवरूद्ध कर दिया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा तहसीलदार मण्डावा के समक्ष कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। आवेदक की उक्त कृषि जोत में आवागमन हेतु आवेदन पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदक को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक एवं महत्ती आवश्यकता है।भूमि खसरा नं. 602/426 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे सलंग्न नक्शे में दर्शित बिन्दू से 13 तक 15 फीट चौडाई का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी के रूप में कायम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस बाबत आवेदक रास्ते के रकबे की भूमि की एवज में अनावेदक संख्या 1 को भूमि देने अथवा उक्त रकबे की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि, जो भी माननीय न्यायालय उचित रूप से आदेशित करे उसे पूर्ण करने के लिए आवेदक तत्पर है।अतः आवेदन पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 0.28 हैक्टर 423 रकबा 1.60 हैक्टर व ख.नं. 424 रकबा 0.16 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम मीठवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में आवगमन हेतु व कृषि उपकरण तथा पशुधन ले जाने हेतु अनावेदक की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 602/426 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे सलंग्न नक्शे में दर्शित बिन्दू । से ठ तक 15 फीट चौडाई का रास्ता कायम कर उसे राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 01 की ओर से अभिभाषक उपस्थित होकर जबाब प्रार्थन पत्र पेश

अधिकारी

किया कि 1 आवेदन पत्र की मद सं 1 अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि आवेदन पत्र की धारा 1
में वर्णित भूमियों पर आवेदक के कब्जे काश्त की कृषि भूमियां है तथा आवेदक खरीफ व रबी की फसल
काश्त करता हो।यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 3 जिस प्रकार दर्ज है स्वीकार नहीं है। यह कहना
गलत है कि आवेदक उक्त कृषि भूमियों में आवागमन व कृषि उपकरण तथा पशुधन ले जाने का कदीमी
प्रचलित रास्ता ग्राम मीठवास से रामचन्द्र गढवाल की ढाणी तरफ जाने वाली सडक खसरा नं.
603/426 से होते हुये अनावेदिका सं. 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 602/426 वाके
ग्राममीठवास की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे आवेदक की भूमि में आता हो यह कहना गलत है
आवेदक कदीमी समय से उक्त भूमि में अपना पशुधन, ऊंटगाडी, ट्रैक्टर, ट्राली तथाकथित उक्त रास्ते से
ले जाता रहा हो। नजरी नक्शा काल्पनिक बनाया गया है।आवेदन पत्र की मद सं 4 जिस प्रकार दर्ज है
अस्वीकार है। विभाजन के समय अनावेदिका सं. 1 के खेत से रास्ते का प्रावधान नहीं रखा गया था।
जब विभाजन हुआ तब सडक भी नहीं थी। आवेदक के मन में खेत से सीधा सडक पर आने का लालच
आ गया है। इसलिये आवेदक ने गलत व झुठे तथ्य दर्ज कर आवेदन पत्र पेश किया है जो खारिज
होने योग्य है।आवेदन पत्र की मद सं. 5 जिस प्रकार दर्ज है स्वीकार नहीं है। अनावेदिका सं. 1 के खेत
से कोई रास्ता नहीं है। अनावेदिका सं. 1 ने आवेदक के विरूद्ध एक दावा उनवानी बबीता बनाम दान
सिंह भी पेश कर रखा है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक द्वारा उक्त दावें को प्रभावित
करने के लिये यह आवेदन पत्र पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। जब उक्त भूमि पर
अनावेदिका सं. 1 का कब्जा काश्त है तो रास्ता होना व रास्ते को अवरूद्ध करने का तथ्य काल्पनिक
है।यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 6 अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि आवेदक के पास दुसरा
रास्ता मौजुद नही हो। यह कहना भी गलत है किआवेदक को उक्त रास्ते की अत्यन्तिक एवं महती
आवश्यकता हो। विस्तृत जवाव अतिरिक्त उत्तर में दिया जा रहा है। आवेदन पत्र की मद सं. 7
अस्वीकार है। आवेदक इस मद में वर्णित रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आवेदक द्वारा तथ्यों
को छुपाकर गलत एव आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। विस्तृत
जवाव अतिरिक्त उतर में दिया जा रहा है।सिद्धिया अस्वीकार है। आवेदक सिद्धियां में दर्ज अनुसार कोई
अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ना उक्त रास्ता खुलवाने का अधिकारी है।
अतिरिक्त उत्तर – आवेदकगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया है, वह गलत
रूप से पेश किया गया है। आवेदकगण का कभी भी मार्क ए से बी रास्ते से आवागमन नही रहा है।
आवेदक का अनावेदिका सं. 1 की भूमि में से आवागमन का कभी भी कोई रास्ता नही है। आवेदक
अपनी काश्त की भूमि में भूमि खसरा नं. 421, से ही आवागमन करता रहा है तथा वर्तमान में भी
आवेदक उक्त रास्ते से हीआवागमन कर रहा है। आवेदक ने केवल मात्र अनावेदिका द्वारा आवेदक के
विरुद्ध प्रस्तुत दावे को प्रभावित करने के लिये झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है।
इस कारण आवेदकमण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज होने योग्य
है।आवेदकगण के प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 (क) की प्लीडिंग वेग है। आवेदकगण किसी प्रकार का
अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिये आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया
जाना उचित व न्यायोचित है।अतः जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदिका सं. 1 का
जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक का आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार मण्डावा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 276 के द्वारा रिपोर्ट पेश कि प्रार्थी पक्ष
द्वारा भूमि ख.न. ख.न. 422,423, 424 पर जाने हेतु ख.न. 602/426 में से रास्ता चाहा गया है।
जिसकी दुरी 92 मीटर है। प्रतिवादी द्वारा मौके पर बताया गया है कि इनके खते में आने के लिए ग्राम

ण्ड अधिकारी
मण्डावा

तेतरा मे भूमि ख.न. 383 जो कि प्रार्थी के स्वयं के ख.न. 384 पारिवारिक खेत जिसके एक प्रचलित रास्ता लगाता है उक्त प्रचलित जो ख.न. 399 तक रिकार्ड है। ग्राम तीठवारा में वादी के ख.न. 422 तक दुरी 540 मीटर है। मौके पर खेत खसरा 422,423,424 तक रास्ते का कोई चिन्ह मौजूद नही हे तथा अन्य कोई वकल्पिक रास्ता नही है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मण्डावा मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया । वकील अनावेदक ने आवेदक वकील के तथ्यो को विरोध दर्ज कराते हुए निवेदन किया किया आवेदक के पास पहले से रास्ता मौजुद है। अतः प्रार्थना मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 422, 423,424 में पहुंच बावत खसरा न. ख.न. 602 / 426 में से रास्ता चाहा गया है । प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्त मौजूद नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डावा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीग को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्ग धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीक किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न. 422,423,424 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी खेत ख खसरा न. 602 / 426 में प्रस्तुत नजरी नक्शें के बिन्दु "ए" से "बी" से रास्ते की लम्बाई 92 मी. व चौ

ड अधिकारी
मण्डावा

5 मीटर है जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है,को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा